



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.06.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद हुये है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-अरुण पुत्र रोहताश निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-दीपक पुत्र जगबीर निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध जिंदा कारतूस .32 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- नि0 श्री जयप्रकाश कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री रामकुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- का0 585 योगेश कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 07.06.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 485/22 धारा 376डी/506 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 485/22 धारा 376डी/506 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट:- मुकदमा उपरोक्त में थाना बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

1-सागर पुत्र दुर्योधन निवासी ग्राम शाहपुर बडौली कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना बडौत
- 2- का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत
- 3- का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 07-06-2022

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 143/22 धारा 323/325/308 भादवि में सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.06.2022 को थाना बिनौली पर वादी श्री अनिल कुमार सोलंकी पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी जिवाना गुलियान थाना बिनौली ने सूचना दी कि उसके गांव के रहने वाले हिमांसु पुत्र स्व0 मनोज, विकांशु पुत्र स्व0 मनोज, विकास उर्फ टल्ली पुत्र बलवान व एक महिला ने उसके भाई अखिलेश के साथ मारपीट की जिससे अखिलेश बेहोश हो गया व उसका दाँत तोड़ दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 143/22 धारा 323/308/325 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 143/22 धारा 323/308/325 भादवि में सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विकांशु पुत्र स्व0 मनोज निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री दिग्विजय सिंह ।
- 2-का0 811 योगेन्द्र कुमार ।
- 3-हो0गा0 415 अंकुर ।
- 4-हो0गा0 409 राजपाल ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 07.06.2022

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 158/22 धारा 323/354/509 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 158/22 धारा 323/354/509 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-राजकुमार पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अरविन्द कुमार ।

2-का0 953 अंकुल कुमार ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 07.06.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1 राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- शंकर पुत्र शीशराम निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सेन्सरपाल ।
- 2-का0 991 नवीन कुमार ।
- 3-एचजी 494 बाबू ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 07.06.2022

थाना खेकड़ा पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 12 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब व 12 कैन अवैध बीयर एवं तस्करी में प्रयुक्त एक ईको गाडी बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब व 12 कैन बीयर दिल्ली मार्का एवं तस्करी में प्रयुक्त एक ईको गाडी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सोनू मलिक उर्फ सोनवीर पुत्र चांद सिंह निवासी ग्राम कुढाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण-

- 12 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब ।
- 12 कैन बीयर ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक ईको गाडी नम्बर- यूपी- 15सीजैड- 5454

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्रीमति सविता रानी आबकारी बागपत ।
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना खेकड़ा बागपत
3. का0 अरविन्द कुमार आबकारी बागपत ।

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 153/22 धारा

147/148/149/323/324/307/452/427/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13/05/2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी जयप्रकाश पुत्र चन्दकीराम निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिंघावली अहीर ने सूचना दी कि दिनांक 12/05/2022 को अभियुक्त 1- विनित पुत्र विरेन्द्र 2. नाजिम पुत्र शौकत 3. इमरान पुत्र शौकत 4. गौरव पुत्र नीटू 5. सूरज पुत्र आजाद 6. अनुज पुत्र संजय 7. भौला उर्फ विनय पुत्र रूपचन्द व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों ने एक राय होकर लाठी-डंडो, तलवार व तमंचे से लैस होकर उसके घर में घुसकर, घर का सामान तोड़-फोड़ देना तथा उसके व उसके परिवार के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की व जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया। जिसमें उसकी भाभी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 153/22 धारा 147/148/149/323/324/307/452/ 427/504/506 भादवि में पंजीकृत किया गया था।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 153/22 धारा 147/148/149/323/324/307/452/427/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पूर्व में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अनुज पुत्र संजय निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0- श्री इन्द्रपाल सिंह थाना सिंघावली अहीर।

2-का0 310 सुनील कुमार थाना सिंघावली अहीर।